प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 25.05.2026

हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी, 03 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में '#OperationConviction' के तहत सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को मा० न्यायालय एएसजे प्रथम सोनभद्र द्वारा दोषसिद्ध कर 03 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

थाना – चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 – 118/2017
धारा – 302, 120बी भादवि0 व 3/25 ऑर्म्स एक्ट
अभियुक्तगण –

1. राजनरायन गिरी पुत्र स्व0 बसन्तू गिरी निवासी पकरी थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
2. बबलू गिरी पुत्र राजनरायन गिरी निवासी पकरी थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
3. रामधारी चौधरी पुत्र दीनानाथ निवासी कन्हौरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
4. सत्येन्द्र चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी निवासी कन्हौरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
5. रविन्द्र चौधरी पुत्र विलकुली चौधरी निवासी कन्हौरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
6. संतोष चौधरी पुत्र कामेश्वर चौधरी निवासी कन्हौरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
7. जितेन्द्र यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी झरिया टोकहा थाना कोन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

मा० न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा **अभियुक्तगण रविन्द्र चौधरी, संतोष चौधरी व जितेन्द्र यादव प्रत्येक को धारा 302 भादवि0 में आजीवन कारावास व 25,000-25,000-/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अर्थदण्ड अदा न करने पर 08 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा **अभियुक्त जितेन्द्र यादव को 3/25 ऑर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका

उक्त प्रकरण में थाना चोपन पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी। सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।